

अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र
(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है।)

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद झाँसी उत्तर प्रदेश
पत्र संख्या-मेमो/निरी०/एक.एस.ओ./२०२१ दिनांक: १७-१०-२०२५

सेवा में,

स्वामी/प्रबंधक
जे.ए.ए.के.एम. स्कूल
पट्टनवी के पास शिवपुरी रोड झाँसी

विषय: प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाइड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपके प्रार्थना पत्र संख्या: JA/2024-2025 दिनांक: १५/१०/२०२४

उपरोक्त संन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या:-1120(1)आठ, दिनांक 27.12.1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रुपये 1.50 भारतीय स्टेट बैंक शाखा झाँसी में चालान संख्या: JA/01598 दिनांक: 12.10.24 द्वारा जमा कराया गया। रसीद प्राप्त होने के उपरान्त 1.5 अदद फायर एक्सटिंग्यूशर का परीक्षण किया गया जिनका विवरण निम्नवत् है।

- चेकिंग का दिनांक १६-१०-२०२४ १७-१२-१९ श्री इशराक हाशमी
- पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं पूर्व अधिकारी का नाम २०-०१-२० श्री राजेन्द्र कुमार
- संस्थान का विवरण जे.ए.ए.के.एम. स्कूल ३०३-०७-२१ श्री रामकेश शुक्ला
- संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशर की संख्या: १५ २५-०९-२३ श्री. रामकेश शुक्ला
- निरीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर की संख्या: १५
- चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाइड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण.....

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील
1.	ए०बी०सी०	04 किग्रा०	10 अदद	कार्यशील
2.	सी०ओ०टू०	4.5 किग्रा०	05 अदद	कार्यशील

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशील/रिफिलिंग/हाइड्रोलिक टेस्टिंग उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। **Nation Building Code and Up Building Byelaws and Uttar pradesh fire prevention and fire safety act/rules-2005** तथा एन.बी.सी 2016 एवं अन्य शासनादेशों में निर्धारित मानकों के अनुसार से सुरक्षा व्यवस्था वांछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाइड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबंधक/भवन स्वामी का होगा।

प्रतिलिपि:

मुख्य अग्निशमन अधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

१७-१२-१९
अग्निशमन अधिकारी
झाँसी